

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2, 3, 8 के नोटिस लेने से इंकार के लौटे है। अतः उक्त विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण मानी जाती है। विप्रार्थीगण 1 से 10 व 12 से 16 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 155 रकबा 04.3723 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक: वाद/2025/1513

दिनांक : 04.06.2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मनफुलसिंह दत्तकपुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील सिवाना वगैरह		खीमाराम पुत्र सांवलाराम जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील तहसील सिवाना वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम
पैमाईश जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं:-59/2025

दिनांक:-04.06.2025

--: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 155 रकबा 04.3723 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रुपये 2000/-प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 04.06.2025

क्रमांक: वाद /2025/1514

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी सिणेर को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी श्री मनफुलसिंह दत्तकपुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)